प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.01.2025

सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान स्पा सेन्टर ग्रीन वैली, शाप्रिक्स मॉल में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 04 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर) गिरफ्तार, कब्जे से 01 रजिस्टर, 01 डायरी, 01 मैन्यू कार्ड, 01 क्यूआर कोड स्केनर व आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 13.01.2025 को सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा रात्रि में सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि स्पा सेन्टर ग्रीन वैली प्रथम तल शाँप न0 237 शाप्रिक्स माल, सै0 4 वैशाली, गाजियाबाद में अनैतिक देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा है। जिसमें भोली-भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा स्पा सेन्टर ग्रीन वैली शाप्रिक्स मॉल में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 04 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 02 अभियुक्त 1.अरुण कुमार पुत्र स्व0 सूरज प्रकाश निवासी बी0109 आक्सी पंचशील, भोपुरा थाना टीलामोड़, गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष, 2. शशिकान्त पुत्र विसम्बर दास निवासी डिजायर रेजीडैन्सी, अहिसां खण्ड 2 थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष व 01 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर) को मौके से 01 रजिस्टर, 01 डायरी, 01 मैन्यू कार्ड, 01 क्यूआर कोड स्केनर व आपत्तिजनक सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त व अभियुक्ता (संचालिक/मैंनेजर) उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3/4/5/6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त व पीड़ित महिलाओं से पुछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि महिला संचालिक द्वारा अनैतिक कमाई करने के लालच से रैस्क्यू महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराकर ग्राहकों से पैसे लिये जाते है, संचालिका द्वारा महिलाओं को काम दिलाने व पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर प्रतिदिन अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था। इस कार्य को करने में ग्राहकों से भारी धनराशि लेकर कुछ रुपये महिलाओं को भरण पोषण हेतु दिया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों/अभियुक्ता का नाम व पताः-

1. अरुण कुमार पुत्र स्व0 सूरज प्रकाश निवासी बी0109 आक्सी पंचशील, भोपुरा थाना टीलामोड़, गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
2. शशिकान्त पुत्र विसम्बर दास निवासी डिजायर रेजीडैन्सी, अहिसां खण्ड 2 थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष।
3. 01 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर)

बरामदगी का विवरणः-

01 रजिस्टर, 01 डायरी, 01 मैन्यू कार्ड, 01 क्यूआर कोड स्केनर व आपत्तिजनक सामग्री।

गिरफ्तार अभियुक्तों/अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त व अभियुक्ता(संचालक/मैंनेजर) उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा बन्धक बनाकर नग्न वीडियो बनाकर डरा धमकाकर हत्या का भय दिखाते हुए पैसे लेने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 09 मोबाईल एवं 70,000 रूपये नगद बरामद

घटना का विवरण-

दिनांक 13.01.2025 को वादी ने एक लिखित तहरीर दी कि मेरी आनलाईन Grindr ऐप के माध्यम से चैट करके एक व्यक्ति से दोस्ती हो गयी। जिसको मै नही जानता था। मुझे उस पर भरोसा हो गया जिसने मुझे दि0 12.01.25 की शाम को सूर्या गर्डन पर सेक्स एक्टिविटी करने के नाम पर लालायित कर बुलाया तो मै उसके बताऐ मकान मे चला गया जहाँ पर चार व्यक्ति पहले से ही मौजूद थे उन्होने धक्का देकर मुझे अन्दर कमरे मे बंद कर लिया तथा सभी ने एक साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी तथा मुझे बँधक बना लिया मुझे मारा पीटा तथा छोडने को मना करने लगे। उन्होंने मुझे नग्न करके अपने मोबाईल मे फोटो विडीयो बना लिऐ फिर मेरे फोटो विडियो वायरल करने की धमकी देकर जबदस्ती मुझसे पैसों की मांग करने लगे मुझसे जबदस्ती मेरे अकाऊंट से कुल 69,300/-रुपये ट्रांसफर कर लिये। मुझे डराया धमकाया कि अगर पुलिस मे जाऐगा तो तेरी विडियो वायरल कर देगें और अगर तू पैसे नही डालेगा तो तेरी हत्या कर देंने के सम्बन्ध प्राप्त हुआ। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना मधुबन बापूधाम पर उचित धाराओ में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

तथा दिनांक 13.01.2025 को ही एक अन्य वादी की एक लिखित तहरीर की मेरी आनलाईन चैटिंग एप के माध्यम से एक Bottom Ho नाम की ID के व्यक्ति से दोस्ती हो गयी। मुझे उस पर भरोसा हो गया। उसने मुझे दिनांक 13.01.2025 की शाम को सैक्सुएल एक्टिविटी करने के नाम पर लालायित कर मिलने बुलाया। वह मुझ सुर्या गार्डन के बाहर मिला तथा फिर अपने मकान पर ले गया जैसे ही मे उसके साथ उसके मकान मे पहुचा वहा पर 07 व्यक्ति पहले से ही मौजुद थे। कुल 8 व्यक्तियो नें मुझे धक्का देकर कमरे मे बंद कर लिया तथा मुझे सभी ने नग्न करके मेरा फोटो विडियो बनाना शुरू कर दिया मुझसे सभी गाली गलौच करते रहे तथा बोले कि अगर हमे रुपसे नही दोगे तो तुझ यही पर जान से मार देगे तेरी हत्या कर देगे तेरी वीडियो वायरल कर देगे उससे जबरदस्ती रूपयो की मांग करने लगे। मेरे खाते में रूपये नही थे , तो उन 8 व्यक्तियो नें डराकर हत्या का भय दिखाते हुए वही पर आनलाईन बैंक से लोन कराया तथा मुझसे जबरदस्ती मेरे खाते से आनलाईन अपने खाते में 1,18000 रूपये ट्रांसफर करा लिये। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना मधुबन बापूधाम पर उचित धाराओ में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 14.01.25 को लोकन इनपुट व मुखबिर की सूचना पर दौराने पुलिस चेकिंग बुनकर मार्ट के पास से Grindr ऐप के माध्यम से चैट करके व्यक्तियो से दोस्ती कर सैक्सुएल एक्टिविटी करने के नाम पर लालायित कर बुलाकर नग्न करके फोटो विडियो बनाकर गाली गलौच करने तथा उनके खातो से आनलाईन पैसे ट्रांसफर कर लेने वाले 08 व्यक्तियो को थाना मधुबन बापूधाम की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त गण

1. कपिल वर्मा पुत्र प्रवीन वर्मा हाल निवासी म0नं0 416 सैक्टर 3 वसुन्धरा थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष।
2. सन्दीप पुत्र लाल बाबू निवासी म0नं0 1376 गली नं0 9 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम पसरानपुर जिला मोतिहारी बिहार उम्र करीब 21 वर्ष।
3. नितिन चौहान पुत्र सूरज सिंह चौहान निवासी म0नं0 1922 गली नं0 11/2 अर्थला थाना साहिबाबाद मूल निवासी ग्राम भिक्का वाला थाना धामपुर जिला बिजनौर उम्र करीब 23 वर्ष।
4. दीपक वर्मा पुत्र प्रवीन वर्मा निवासी एफ मकान नं0 एफएफ4 एमएम रोड डीएलएफ अंकुर विहार थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।
5. अरूण उर्फ कार्तिक पुत्र संजय साहनी निवासी एफएफ4 एमएम रोड डीएलएफ अंकुर विहार थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम साऊखोर खुर्द थाना बेलघाट जिला गोरखपुर उ0प्र0 उम्र करीब 20 वर्ष।
6. अभिषेक बालियान पुत्र सुभाष चन्द निवासी म0नं0 789 ईस्ट जवाहर नगर गली नं0 8 थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम सिसौली थाना भौराकला जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 30 वर्ष।
7. अभिषेक चौधरी पुत्र स्व0 ओमदेव निवासी म0नं0 518 सैकण्ड फ्लौर सै0 13 वसुन्धरा थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम सिक्का सिलावर थाना व जिला शामली उम्र करीब 30 वर्ष।
8. अर्जुन शर्मा पुत्र दिनेश नाथ शर्मा हाल निवासी सूर्या गार्डन सैकण्ड थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद मूल निवासी म0नं0 1565 गली हैदर कुली चांदनी चौक थाना चांदनी चौक दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त गण

अभियुक्त गणो के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर बन्धक बनाकर नग्न वीडियो बनाकर डरा धमकाकर हत्या का भय दिखाते हुए पैसे लेने के सम्बन्ध में 02 मुकदमे दर्ज है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त गणो नें कड़ाई से पूछताछ पर बताया कि हम लोग आनलाईन Grindr ऐप के माध्यम से चैट करके आस पास के लोगो से सम्पर्क कर दोस्ती करते है। उनके रूचि के हिसाब से उनको सैक्सुएल एक्टिविटी का झांसा देकर उनको कमरे में बुलाते है। और हम सभी लोग इकट्ठे होकर उसे नग्न कर देते है। उसके वीडियो बना लेते है। तथा बन्धक बनाकर हत्या का भय दिखाते हुए व उसका नग्न वीडियो उसके परिजनो को भेजने की धमकी देकर डरा धमकाकर उनसे पैसे अपने खातो में ट्रांसफर करा लेते है।

बरामदगी

1. 09 अदद मोबाईल
2. 70 हजार रूपये नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा मोबाइल स्नैचिंग व चोरी की घटना कारित करने वाला 25,000/ रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 20.10.2024 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर एक तहरीर दी कि दो अज्ञात बाइक सवार द्वारा वादी का मोबाइल फोन छीन कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा- 304 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 21.10.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मोबाइल स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले अभियुक्त बिलाल को छीने हुये मोबाइल सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 14.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 25,000/-रुपये का इनामी अभियुक्त अरशद पुत्र निजामुद्दीन निवासी लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा इसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त चोरी का माल बरामदगी के संबंध में धारा- 317(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने दिल्ली से चोरी की थी तथा इसी चोरी की मोटरसाइकिल से मैंने अपने साथी बिलाल के साथ मिलकर परशुराम स्कूल के पास से एक राह चलते लड़के से मोबाइल छीना था तथा लोनी से एक लड़की से मोबाइल छीना था। मेरे साथी बिलाल को पहले ही थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा छीने गए मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है तथा छिना गया एक मोबाइल फोन मैंने राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

अरशद पुत्र निजामुद्दीन निवासी लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर मोबाइल स्नैचिंग/हत्या का प्रयास/झगड़ा/चोरी का माल बरामदगी के सम्बन्ध में 04 अभियोग पंजीकृत है व दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना लोनी पर मोबाइल स्नैचिंग का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा लोगों के साथ टप्पेबाजी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से वादिया के कुण्डल बेचकर प्राप्त किये हुए पैसों में से शेष बचे हुए 900/- रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 13.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गयी और बताया कि मिथुन व उसके 01 अन्य साथी द्वारा वादिया को गुमराह करके वादिया से उसके कान के कुन्डल उतरवाकर व पर्स लेकर भाग गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम का तत्काल संज्ञान लेते हुए दिनांक 13.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर लोगों के साथ टप्पेबाजी करने वाले 01 अभियुक्त मिथुन पुत्र सतूलेसा निवासी सलीम कवाड़ी की दुकान की गली कलन्दर कॉलोनी सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष को गणेशपुरी शहीदनगर पुलिया के पास शालीमार गार्डन से वादिया के कुण्डल बेचकर

प्राप्त किये हुए पैसों में से शेष बचे हुए 900/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मिथुन पुत्र सतूलेसा उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 303(2),318(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण:</u> गिरफ्तार अभियुक्त मिथुन उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने व मेरे एक अन्य साथी शहरुन निवासी सीमापुरी दिल्ली ने कल एक महिला से उसके कान के कुंडल उतरवाकर पर्स में रखवा दिये थे व उस महिला को अपनी बातों में लगाकर चुपके से पर्स लेकर चले गए थे। महिला के कुंडलों को हमने रास्ते में आते जाते व्यक्ति को 5,000/- रूपये में बेच दिया व मिले पैसो को आपस में बाँट लिया। जिसमें से कुछ पैसे मैने नशे के लिए खर्च कर दिये व शेष मेरे हिस्से में आए पैसो में से यही 900/- रूपये बचे है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>
मिथुन पुत्र सतूलेसा निवासी सलीम कवाड़ी की दुकान की गली कलन्दर कॉलोनी सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- वादिया के कुण्डल बेचकर प्राप्त किये हुए पैसों में से शेष बचे हुए 900/- रुपये बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>
गिरफ्तार अभियुक्त मिथुन पुत्र सतूलेसा उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर लोगों के साथ टप्पेबाजी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>
थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।